

विचार बिन्दु

जो तेरे सामने और की निंदा करता है, वो और के सामने तेरी निंदा करेगा।

—कहावत

अमृतकाल में अंधविश्वास क्यों?

भा रतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लेख तो प्रारंभ से है, किंतु मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद 51 ए 1976 में 42वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 ए (एच) निम्न प्रकार है:—

“प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन और सुधार को भावना का विकास करे”

संविधान को लागू हुए 75 वर्ष हो गए हैं और भारत सरकार द्वारा 25 साल के काल खंड को 'अमृत काल' का नाम दिया गया है। यह देखना उपयुक्त होगा कि अमृत काल में इस महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य की वर्तमान में क्या स्थिति है?

जिस प्रकार की घटनाएँ हम कुछ वर्षों में देख रहे हैं, उनसे तो लगता है कि समय के साथ नागरिक, अधिक अंधविश्वासी होते जा रहे हैं। इसके कई उदाहरण हमें नियमित रूप से देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ का हम यहां उल्लेख करके यह देखने का प्रयास करेंगे कि अंधविश्वास और अंधश्रद्धा किस प्रकार नागरिकों के जीवन को तबाह कर रही है और उनमें वैज्ञानिक सोच अब तक विकसित क्यों नहीं हो पाई है?

तथाकथित धर्म गुरुओं के प्रति अंध श्रद्धा का ही परिणाम है कि अंधविश्वास में कोई कमी नहीं आई है। सरकार की ओर से भी केवल सतही तौर पर लक्षण के आधार पर कार्रवाई की जाती है, किंतु इस समस्या के मूल में जाने का प्रयास कभी नहीं किया गया।

भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल यादव के हाथसर में हुए प्रवचन के बाद 3 जुलाई, 2024 को जो भगवद मची, उसमें 121 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इनमें 116 महिलाएँ और शेष बच्चे थे। मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार भगवद मचने का कारण 80000 लोगों को सभा की अनुमति के विरुद्ध ढाई लाख से अधिक व्यक्तियों का वहाँ एकत्रित होना था। इनके लिए पुलिस, प्रशासनिक एवं प्राथमिक चिकित्सा तक की व्यवस्था नहीं थी। सारी जिम्मेदारी भोले बाबा के लगभग 12000 सेवा सेवादारीयों की थी। सूरजपाल यादव ने यह कहा बताया है कि जहाँ उनके चरण पड़ते हैं वहाँ की धूल को माथे पर लगाने से हर समस्या का निवारण हो जाता है। इसी लिए सूरजपाल यादव के घटनास्थल से निकलने पर लगभग ढाई लाख लोगों को भीड़ में उतारे चरण - रज लेने को होडा लग गई, जिसके कारण भगवद में दम घुटने से इतनी बड़ी संख्या में लोग दम कर मर गए। लगभग सभी महिलाएँ निधन परिवारों की थीं।

संविधान के अमृत काल में इस प्रकार की घटना का होना अत्यंत दुःखद है। यह उल्लेखनीय है कि यह घटना पहली नहीं है। इससे पहले भी कई प्रकार की ऐसी घटनाएँ हो चुकी हैं, जिनमें हजारों व्यक्तियों को जान भीड़ में भगवद मचने से हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस घटना को जो एफ आई आर दर्ज की है, उसमें 'बाबा' का नाम तक नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि कोई भी राजनीतिक दल, बाबा के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा एफ आई आर दर्ज करने का दबाव नहीं डाल रहा है। पुलिस - प्रशासन इसे सामान्य कानून व्यवस्था की घटना मानकर देश के समुपग्रह रख रहा है, जबकि वास्तव में ऐसा ही नहीं।

यह घटना तो उस मूल समस्या का लक्षण मात्र है, जिसे अंधविश्वास कहा जाता है। यदि वैज्ञानिक सोच का विकास किसी भी हद तक हुआ होता, तो इतनी बड़ी संख्या में महिलाएँ इस इस बाबा के चरणों की धूल से बीमारी ठीक होने के अंधविश्वास में दबकर नहीं मरती।

समाज में व्याप्त अंधविश्वास, सैकड़ों परिवारों को उग्र भर का कष्ट दे गया है। विडंबना की बात यह भी है कि बाबा इस हादसे के बाद से ही फरार है।

स्वतंत्रता के 75 साल बाद भी अंधविश्वास के चलते, कई महिलाओं को डायन, चुड़ैल बता कर उन्हें समाज से बहिष्कृत कर प्रताड़ित किया जाता है, उनके बाल काट दिए जाते हैं और उन्हें यान्त्राण्टी जो जाती है। मजे की बात यह है कि महिलाओं को तो 'डायन', और 'चुड़ैल' घोषित कर दिया जाता है एवं उन्हें विभिन्न प्रकार के अमानवीय कष्ट झेलने पड़ते हैं, किंतु किसी भी पुरुष को शंका बता कर कर उसे कष्ट दिया गया हो, ऐसा नहीं सुना है।

हाथसर हादसे में, मृत सभी महिलाएँ निरक्षर नहीं हैं। ये साधारण परिवार की अवश्य हैं, किंतु इनमें से कई ने विद्यालय स्तर की शिक्षा प्राप्त की होगी, ऐसा दिखाई दिया। स्पष्ट है, विद्यालय में भी उनके अंधविश्वास को वैज्ञानिक सोच के आधार पर कम करने के बजाय उसे बलपूर्वक या प्रोत्साहन रूप से बढ़ाने का ही काम किया गया।

विश्वास एवं अंधविश्वास में एक बहुत बारीकी से रखा होता है। हम में कई विद्वानों, धर्मगुरुओं, साधु-संतों के प्रति आदर और श्रद्धा होना स्वाभाविक है। यह सब उनके चरित्र और ज्ञान के कारण होता है। समस्या तब उत्पन्न होती है, जब किसी को कहीं हुई बात को लोग बिना तार्किक और विवेकपूर्ण विश्लेषण के, यथावत स्वीकार कर लेते हैं और उनके आदेश अनुसार कुछ भी करने को तय हो जाते हैं। दोगी, पाखंडी तथाकथित धर्मगुरु इसी अंधश्रद्धा का लाभ उठाकर अपने अनुयायियों का आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण करते हैं। तथाकथित 'बाबा' के प्रति अंध श्रद्धा के कारण ही कई लोग अपनी अपनी पुरी, बहन या पत्नी को उनके पास इलाज के लिए या संतान प्राप्ति के उपाय के लिए छोड़ देते हैं। इसी का लाभ उठाकर कई तथाकथित धर्मगुरुओं उर्फ बाबाओं ने, चाहे वह किसी भी धर्म या संप्रदाय के हों, महिलाओं का यौन शोषण तक किया है। आसाराम, गुरमीत राम रहीम ऐसे ताबा उदाहरण हैं, जिन पर महिलाओं के यौन शोषण के न केवल आरोप लगे बल्कि वे सिद्ध भी हुए हैं और उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई। ये तो कुछ उदाहरण मात्र हैं। ऐसे बाबा पूरे देश में हजारों की संख्या में हैं, किंतु उनका भंडाफोड होना अभी बाकी है।

भोले बाबा हो अथवा बाबा बागेश्वर, इन सबको भी जब भगवान मानना प्रारंभ कर देते हैं, समस्या वहीं से प्रारंभ होती है। यह सोच, भारतीय संविधान में नागरिकों से अपेक्षित वैज्ञानिक सोच के विपरीत है आवश्यकता इस बात की है कि बच्चों में प्रारंभ से ही, विद्यालयी शिक्षा के दौरान, विवेकपूर्ण विश्लेषण की क्षमता और वैज्ञानिक सोच की प्रवृत्ति विकसित की जाए ताकि वह बड़े होकर किसी के अंधधुंधल न बन।

देश के बड़े-बड़े नेताओं और अधिकारियों को भी सार्वजनिक रूप से ऐसे बाबाओं के सामने नतमस्तक होते नहीं दिखाया जाना चाहिए क्योंकि साधारण जनता यह सोच लेती है कि बड़े लोग जो कर रहे हैं, वह सही ही होगा।

यह एक विचित्र सी बात लगती है कि समय के साथ-साथ ऐसे धर्मगुरुओं और बाबाओं की संख्या में कमी आने के स्थान पर इनमें निरंतर वृद्धि होती जा रही है। इस प्रकार के पाखंडी बाबा केवल किसी एक धर्म में नहीं हैं, अपितु लगभग सभी धर्मों और समाजों में किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं। ऐसे बाबा लोगों के एजेंट कई राज्यों में फैले हुए हैं, जो उनके तथाकथित चमत्कारों के बारे में मिथ्या प्रचार करके ऐसा वातावरण तैयार करते हैं, जैसे इन बाबाओं के दर्शन करने या उन्हें खूबे मात्र से उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यह भी एक जापूरी है कि बाबाओं के चमत्कार में अधिकतर महिलाएँ ही फँसती हैं।

जहाँ श्रद्धा समाप्त होती है, वहीं अंधश्रद्धा प्रारंभ हो जाती है। अंध श्रद्धा में सबसे पहले तर्कशक्ति समाप्त होती है। तर्कशक्ति समाप्त होने के बाद ऐसे व्यक्ति को आसानी से प्रभावित करके वश में लिया जा सकता है। अपने पुरुषार्थ और कर्म पर विश्वास न करने, शक्तिरूढ़ से परिणाम प्राप्ति की आकांक्षा इस प्रकार की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। समाज में इसके विरुद्ध जिस प्रकार का वातावरण बना चाहिए एवं नागरिकों को मौलिक कर्तव्य के प्रति सचेत करने का जो आंदोलन चलाना चाहिए, उसका निम्नलिखित अभाव है।

राजनीतिक दल, इस प्रकार के अंध विश्वासी भक्तों को अपने वोट बैंक की तरह देखते हैं। संभवतया, इसी कारण किसी भी राज्य की पुलिस एसे डैंगी बाबाओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही नहीं करती। हाथसर प्रकरण में भी विभिन्न टीवी चैनलों पर पर जो चर्चा होती है उनमें अधिकांश दलों के प्रतिनिधि भोले बाबा को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, केवल कानून व्यवस्था की स्थिति मानकर ही आगेजुर्तों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं।

उपर्युक्त सरकार ने इस घटना को जॉर्ज न्यूथियक जॉर्ज आयोग अवश्य निर्गत किया है, किंतु अब तक के अनुभव से तो यही लगता है कि इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जायेगी। राजस्थान के जोधपुर में लगभग 18 साल पहले मेहरानाड किले पर भगवद में 223 व्यक्तियों की मौत हुई थी, जिसकी जांच के लिए उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जसराज जो चौपड़ा को अध्यक्षता में न्यायिक आयोग बनाया गया था। इस आयोग की रिपोर्ट 15 वर्ष के बाद भी अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है।

देश में अब तक अंध श्रद्धा और अंध विश्वास को रोकने के लिए कोई कानून, कुछ राज्यों को छोड़कर, नहीं बनाए गए हैं। जिन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने वैज्ञानिक सोच को प्रचारित-प्रसारित करने का प्रयास किया और अंधविश्वास के विरुद्ध मजबूती के साथ आवाज उठाई, उनकी हत्या तक कर दी गई। इनमें प्रमुख नाम पुणे के नरेंद्र दाभोलकर हैं।

समाज के सभी समझदार, विवेकशील और संविधान में विश्वास रखने वाले लोगों को एक आंदोलन चलाना होगा ताकि संविधान के अंतर्गत दिए गए मूल कर्तव्यों से नागरिकों को अवगत कराया जा सके। जो भी इस कर्तव्य के निर्वहन में बाधक बनें, उनके विरुद्ध कड़ाई से कार्रवाई करनी होगी। सरकार में बैठे लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, जो नागरिक संगठन वैज्ञानिक सोच विकसित करने के काम में लगे हुए हैं, उन्हें संरक्षण देना होगा। देश के राजनीतिकों को भी अपने खुद स्वार्थ से ऊपर उठकर संविधान की भावना के अनुसार और जजहिल में इस प्रकार के मामलों में कड़ी कार्रवाई करनी होगी।

हाथसर की घटना के बाद भी वहाँ कुछ व्यक्तियों को यह कहते हुए सुना जा रहा है कि बाबा के पास जाने से उनके कष्ट दूर हो गए थे और बाबा को कोई गलती इस पूरे हादसे में नहीं है। यह प्रश्न कोई नहीं करता कि जिनकी चरण रज लेने से कष्ट दूर हो जाते हैं, उन्हीं के प्रवचन में जाने से इतने लोग मौत को कैसे प्राप्त हो गए?

कभी-कभी तो लगता है कि भारत में हम 21वीं सदी में आगे बढ़ने के बजाय कहीं 20 वीं, 19वीं और 18वीं शताब्दी में तो नहीं लौट रहे हैं? जहाँ एक ओर पुरी दुनिया विज्ञान के बल पर आगे बढ़ रही है, वहीं कानून की कमियाँ और सरकारों की निष्क्रियता के कारण देश में अंधविश्वास तेजी से बढ रहा है।

ये तथाकथित बाबा जहाँ के रहने वाले होते हैं, वहाँ के लोग इनकी करतूत से भली भाँति परिचित होते हैं और वे इनसे प्रभावित भी नहीं होते। मुझे स्पष्ट है, जब मैं एक जिले में कलेक्टर की तरह पद स्थापित था तो भारत सरकार के बहुत उच्च अधिकारी का फोन आया कि मेरे जिले में एक ऐसा व्यक्ति है जो पेट पर केवल हाथ लगाकर ही अंदर की पथरी निकाल लेता है और पथरी मरीज को दिखा भी देता है। इससे मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके लिए किसी प्रकार के ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती। मुझे उसे जिले में पदस्थापित होते हुए भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि जिस व्यक्ति के बारे में जानकारी चाही गई थी वह एकदम फ्राई था और निलंबित शिक्षक था। मैंने उन्हें स्पष्ट कर दिया कि यह बिल्कुल झूठ है और उन्हें मिलने की आवश्यकता नहीं है। यह तो अच्छा था कि उन्होंने मुझे सूना था कि उन्हें वे डैंगी बाबा के चंगुल में फँसने से बच गए।

अमृत काल का वास्तविक अर्थ समझें और नागरिकों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने की दिशा में ठोस कार्य किया जाय। जिन राज्यों में अंध विश्वास फैलाने के विरुद्ध कोई कानून नहीं है, वहाँ इसे शीघ्र बनाया जाय।


अमृत काल में अंधविश्वास को देश में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विश्वास और श्रद्धा होना बुरी बात नहीं है लेकिन अंधविश्वास होना, हमारी विवेकशीलता और वैज्ञानिक सोच की समाप्ति का ही संकेत कहा जाएगा। यदि देश को वास्तव में विश्व गुरु बनना है तो अंधविश्वास से मुक्ति पानी ही होगी। इसके लिए शिक्षा एक सशक्त माध्यम बन सकती है।

सरकार से अपेक्षा है कि वह निम्न कदम उठाए—

1. सूरजपाल यादव उर्फ भोले बाबा को गिरफ्तार कर और उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करके उसे न्यायालय से सजा दिलावाए।
2. अंधविश्वास के विरुद्ध एक कानून बनाए जिसमें कड़ी सजा का प्रावधान हो।
3. वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए जन आंदोलन चलाए।
4. बड़े सरकारी अधिकारी और नेता डैंगी बाबाओं के पास जाने से परहेज करें।

आहूद, हम सब अपने संवैधानिक कर्तव्य के निर्वहन में समाज में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के अभियान में जुट जाएं—

—अतिथि संपादक, राजेन्द्र भागवत (पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)



डॉ. जे.के. गर्ग

हम इस सच्चाई से इंकार नहीं कर सकते हैं कि वर्तमान में अयोध्या हो या चित्रकूट या श्रीकृष्ण की लीला स्थली वृंदावन, वहाँ जमीनों व विभिन्न आश्रमों पर कब्जे को लेकर कथित महात्माओं के बीच लड़ाई चल रही है। कुछ आश्रम तो अपराधियों के अंडे बन चुके हैं। पास-पड़ोस के राज्यों में अपराध करने के बाद अपराधी इन्हीं मठों, आश्रमों में शरण ले लेते हैं और फिर बाबाओं के बीच रहने लगते हैं।

ऐसे आश्रमों से पवित्रता व समर्पण की आशा नहीं की जा सकती। जो भगवान राम इतने बड़े राज्य को लात मारकर वन चले गए थे, उन्हीं के भक्त कहला कर धन उगाहने, बड़े-बड़े आश्रम बनवाने, विधियों की संख्या बढ़ाने के लिए तिकड़म किए जा रहे हैं। सतई सिर्फ वेशभूषा नहीं बल्कि आचरण है। भारतीय संस्कृति और लोकतंत्र इसको अनुमति प्रदान करता है कि हर कोई अपनी-अपनी तरह से अपना आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास करे, लेकिन ऐसा करते हुए कि किसी को भी देश के नियम-कानूनों की अपदेखी करने की छूट नहीं दी जा सकती। धर्म भूमि में ऐसे धर्मगुरु विभिन्न धर्मों जिन हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख आदि कमोवेश सभी धर्मों में से सम्बन्धित होते हैं, ऐसे तथाकथित धर्मगुरुओं का सभ्य समाज

में कोई स्थान नहीं हो सकता और न होना चाहिए जो देश के साथ-साथ मानवीय भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं जिससे धर्म की भी बदनामी भी होती है।

स्वयं भू संत और साधु जानिए कौन हैं भोले बाबा? जिनके कार्यक्रम में मची भगवद खास बात यह है कि इंटरनेट के जमाने में अन्य साधु संतों के कथावाचकों से इतर सोशल मीडिया से दूर बाबा का कोई आधिकारिक अकाउंट किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं है। कथित भक्तों का दावा है कि नारायण साकार हरि यानी भोले बाबा के जमीनी स्तर पर खास अनुयायी हैं। उत्तर प्रदेश के हाथसर जिले स्थित फुलरई गांव में एक धार्मिक समागम अंड्रे पर मची भगवद में 122 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। नारायण साकार हरि या साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा के सतसंग के समापन पर यह हादसा हुआ। दावा है कि 26 साल पहले बाबा सरकारी नौकरी छोड़ धार्मिक प्रवचन करने लगे।

एटा एसएसपी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि यह घटना फुलरई गांव में आयोजित सतसंग में हुई, जहाँ बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए थे। हाथसर के मुगलगढ़ इलाके स्थित फुलरई गांव में मानव मंगल मिलन समागम समिति ने नारायण साकार विश्व हरि के नाम से प्रसिद्ध भोले बाबा का प्रवचन कार्यक्रम रखा था। इसमें तकरीबन 50 हजार से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी थी। कार्यक्रम स्थल पर प्रशासन की परमिशन से ज्यादा अधिक लोग पहुंच गए थे।

बाबा रामपाल-बाबा रामपाल या संत रामपाल आध्यात्म की दुनिया में कदम रखने से पहले हरियाणा की सिंचाई विभाग में इंजीनियर थे। 18 साल तक नौकरी करने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे

दिया और फिर सतसंग करने लगे। इन्होंने सतलोक आश्रम बसाया। आरोप है कि उनके आश्रम के अस्पताल में गर्भपात सेंटर चलता था। अपने आश्रम से कई गैरकानूनी कामों को अंजाम देने वाला रामपाल आज पुलिस की गिरफ्त में है।

आशो रजनीश-आशो उन लोगों में शामिल थे जिनसे अमरीका के भक्त लोग डरते थे। उन्होंने सभी धर्मों का खंडन करते हुए एक अलग ही पंथ चलाया था जिसने कई अमेरिकियों ने पसंद किया।

साई बाबा-अपने आप को शिरडी के साई बाबा का अवतार बताते वाले सत्य साई बाबा भी आजीवन विवादों में घिरे रहे। उन पर हाथ की सफाई से विभूति लेना, घड़ी, नेकलेस आदि पदार्थ करने के आरोप लगे। हालांकि उन्होंने इन पर चुप्पी सांथी रखी।

चन्द्रास्वामी-एक मामूली कर्मचारी से शुरूआत कर विश्व की टॉप हस्तियों में एक बनने वाले चंद्रास्वामी का जीवन भी काफी विवादग्रस्त रहा। एक तांत्रिक के रूप में विख्यात चन्द्रास्वामी सबसे ज्यादा तब चर्चा में आए जब उनके आश्रम पर इनकम टैक्स की रेट पड़ी और वहाँ पर आरम्भ डीलर अदनाम खशोगी के 11 मिलियन डॉलर के ओरिजिनल ड्राफ्ट लगे।

स्वामी भीमानंद-दिल्ली के एक बाबा खूद को इच्छाधारी संत बताते थे। 1997 में उन्हें लाजपत नगर इलाके से पुलिस ने देह व्यापार में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया। उन पर आरोप था कि वो प्रवचन के बहाने लड़कियों को फंसाकर सेक्स रैकेट का कारोबार करते हैं।

बाबा गुरमीत राम रहीम-बाबा गुरमीत यूनू तो अपने भक्तों के बीच सम्मान की नजर से देखे जाते हैं लेकिन कभी अपने फिल्मी अवतार, तो कभी कानूनी मामलों में उलझ जाने के चलते विवादों में रहे हैं। उन पर यूँ तो कई प्रकार

के आरोप लगे हैं, कभी आश्रम में रह रहे लोगों की नसबंदी कराने, तो कभी कुछ ने उनके चरित्र पर भी सवाल उठाए हैं। पंचकूला की सीबीआई अदालत में यौन उत्पीड़न से जुड़े एक मामले में भी केस चल रहा था और उन्हें सजा भी मिली है, उनको कोर्ट ने जब सजा सुनाई उस वक्त विशेष कर हरियाणा हिंसा और उत्पादक हुआ कई लोग मारे गए तथा अरबों की संपत्ति स्वाह हो गई थी।

निर्मल बाबा-वर्ष 1981 में निर्मलजीत सिंह नरूला ने निजी व्यवसाय आरंभ किया। एक के बाद एक कई व्यवसाय बदलते पर भी उन्हें सफलता नहीं मिली तो उन्होंने अपने आप को संत घोषित कर स्वयं को निर्मल बाबा नाम दिया।

स्वामी नित्यानंद-साल 2010 में स्वामी नित्यानंद के खिलाफ धोखाधड़ी और अश्लीलता के मामले दंड हुए थे उनकी कथित सेक्स सीडी सामने आईं। उन्हें अधिभूत के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए दिखाया गया है। इसके बाद फारसिक लैब में हुई जांच में सीडी को सही बताया गया, लेकिन नित्यानंद के आश्रम ने उस सीडी की अमेरिकी लैब की रिपोर्ट पेश की। इसमें सीडी से छेड़छाड़ की बात सामने आई, इसके बाद नित्यानंद को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि कुछ दिन बाद उन्हें बेल मिल गई थी।

आसाराम-आसाराम पर एक नाबालिग लड़की का आरोप सही साबित हो गया है और उसे आजन्म ऊग्र कैद की सजा दी गयी है। आसाराम पर जमीन कब्जाने के दर्जनों आरोप हैं।

वर्तमान समय में विगत कुछ दशकों से भारत सहित विभिन्न देशों में अनेकों लोग संत और सन्यासी के रूप में पूजे जा रहे हैं जिनका संत या सन्यासी भाव से दूर-दूर तक कोई सम्बन्ध नहीं है। अफसोसजनक तो यही है कि राज्य सत्ता में बैठे कुछ लोग भी ऐसे पाखंडियों

को ही प्रश्रय दे रहे हैं। ऐसे पाखंडियों को हमारी राजसत्ता ने अब सत्ता का हिस्सा भी बनाना शुरू कर दिया तो सच्चे संतों और सन्यासियों की कौन सुने? वर्तमान में अयोध्या हो या चित्रकूट या श्रीकृष्ण की लीला स्थली वृंदावन, वहाँ जमीनों व विभिन्न आश्रमों पर कब्जे को लेकर कथित महात्माओं के बीच लड़ाई चल रही है।

संत वो होते हैं जिसने अपने सांसारिक, लौकिक हित करने की इच्छा समाप्त करके परिहित की इच्छा और कामना को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। भतर्हीर कहते हैं- संत: स्वयं परिहिते विहितार्थयोगी। अत: संत स्वयं ही अपने को पराये हित में लगाये रखते हैं अर्थात् संत सदा परोपकारी होते हैं। अपने लिए कोई भी सांसारिक इच्छा नहीं रखते।

परिनिंदन और आर्द्धबर से दूर रहते हैं। जिनके लिए एक अनाम उनका कर्म और परोपकार ही पूजा था। वृहन्नारदीयपुराण के अनुसार, जो सब प्राणियों का हित करते हैं, जिनके मन में ईश्वर और द्वेष नहीं है, जो जितेंद्रिय, निष्काम और शांत हैं। जो मन-वचन-कर्म से पूर्णरूपेण पवित्र हैं। जो किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते। जो प्रतिहाद नहीं लेते। जो परिनिंदन नहीं करते। जो सबके हित की बात करते हैं। जो शत्रु-मित्र में समदर्शी हैं, सत्यवादी हैं, सेवा करने को तत्पर रहते हैं। प्रदर्शन और आर्द्धबर से दूर रहते हैं। जिनमें संताह के बजाय दान की वृत्ति है। जो सदाचारी और जीवन्मुक्त हैं। जो संतोषी और दयालु हैं। वे ही संत हैं।

क्या यह उचित नहीं होगा कि सरकार धर्म के नाम और अपनी दूकान चलाने अरे धर्म के नाम से डर फैलाने वालों के विरुद्ध कानून बनाये।

—डॉ. जे के गर्ग, पूर्व संयुक्त शिक्षा निदेशक, कालेज शिक्षा जयपुर

डॉक्टर दुर्गाप्रसाद अग्रवाल अपने जीवन और लेखन दोनों में समावेशी हैं : डॉ. माधव हाड़ा

जयपुर। राष्ट्रदूत के अतिथि संपादक, सुपरिचित आलोचक, अनुवादक, स्तंभकार डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल का अमृत महोत्सव राही सहयोग संस्थान द्वारा राजस्थान प्रौढ़ शिक्षण समिति के सभागार में मनाया गया। राही सहयोग संस्था के अध्यक्ष प्रबोध कुमार गोविंद ने सभी अतिथियों का स्वागत किया।

इस अवसर पर बड़ी संख्या में लेखक, साहित्यकार व पत्रकार व अग्रवाल के परिजन उपस्थित थे। सुप्रसिद्ध आलोचक प्रो. डॉक्टर माधव हाड़ा की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह में डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल के साहित्यिक अदानन पर प्रियंका कुमारी गर्ग द्वारा तैयार किए गए मोनोग्राफ का विमोचन किया गया व उनके जीवन

पर कशिश अडवानी द्वारा निर्मित वृत्त चित्र का प्रदर्शन भी किया गया। इस अवसर पर डॉ. अग्रवाल एक नई यात्रा वृत्तान्त पुस्तक आँखों देखा परदेस और उनसे लिया गए साक्षात्कारों के डॉ. पल्लव द्वारा संपादित संकलन दिल की गिरह खोल दी का लोकार्पण भी हुआ।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रो. माधव हाड़ा ने कहा कि डॉ. अग्रवाल अपने जीवन और लेखन दोनों में समावेशी हैं। वे किसी एक क्षेत्र में पर खड़े नजर नहीं आते हैं। व्यावहारिक जीवन में इतना निष्पक्ष होना बड़ा असंभव होता है लेकिन डॉ. अग्रवाल ने अपने सकारात्मक नजरिये से इस असंभव को संभव बनाया है। वे जीवन के आचरण में भी मध्य में ही रहते हैं। यही नहीं, हालांकि हिंदी में अधिकांश लेखन परिवर्तन के प्रतिरोध का रोना-धोना है, डॉ. अग्रवाल हर जगह सकारात्मक बदलाव के पक्ष में खड़े



सुपरिचित आलोचक, अनुवादक, स्तंभकार डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल का अमृत महोत्सव राही सहयोग संस्थान द्वारा राजस्थान प्रौढ़ शिक्षण समिति के सभागार में मनाया गया।

नजर आते हैं। उनमें संस्थगत प्रतिबद्धता है जो इधर दुलभ होती जा रही है। वे हर छोटे से छोटा काम भी बड़े मनोयोग से करते हैं। हाड़ा ने कहा कि उनकी निष्ठा व लगन हर प्रेरण देती है। समय मीमांसा उनके लेखन की एक बड़ी विशेषता है। उनके यहाँ समय की हर विद्रुपा पर परिष्पक्ष टिप्पणी मिलती है। समासामयिक विषयों पर निरंतर स्पष्ट लेखन उनकी शक्ति है। हिन्दी में यह उच्चतम सतसंग मौलिक योगदान है। उनके साथ अपने चा-दशक लम्बे संग साथ का भावपूर्ण जुड़ाव करते हुए डॉ. हाड़ा ने कहा कि भरे होने में वे शामिल हैं।

नंद भारद्वाज ने कहा कि अपनापन और गहरी आत्मीयता डॉ. अग्रवाल के व्यक्तित्व की खूबी है। उन्होंने कहा कि नए लेखकों के साथ रिश्ता बनाने की सहजता, व्यवहार में अनौपचारिकता, विचारों की दृढ़ता और विरोधी पक्ष को सुनने की क्षमता उनके गुण हैं। वे बेहद

संवेदनशील हैं और अपने लेखन से कभी किसी का आन्दर नहीं करते हैं। नागरिक जीवन को सूक्ष्म दृष्टि से परखने की उनकी कुशलता उन्हें अन्य लेखकों से इतर एक अलग ही विशेषता है। जिसका अनुकरण कर पाठक सीख सकता है। इन साक्षात्कारों में आत्मकथ्य के साथ ही बचपन व युवावस्था के स्मरण हैं जो उनके जीवन को समझने में हमें सहायता देते हैं। डॉ. अग्रवाल के यात्रा वृत्तान्त पर चर्चा करते हुए कविता मुखर ने कहा कि उनकी विषेपता है कि वे अपना पक्ष शालीनता से रखते हैं और कभी उग्र नहीं होते। उनकी वैचारिक दृढ़ता और उनकी आस्था कभी डिगती नहीं है। वर्तमान दौर में अभिव्यक्ति पर मंड्यरते तमाम खबरों के बीच वे संतुलन कायम रखते हुए अपनी बात कहने से कभी पीछे नहीं रहते। वे गम्भीर पाठक, निष्पक्ष समीक्षक और मुखर आलोचक हैं।

डॉ. अग्रवाल की लोकार्पित पुस्तक "दिल की गिरह खोल दी" के संपादक पल्लव ने कहा कि यह कितना समय-समय पर लिये गये उनके साक्षात्कारों का संग्रह है। हर लेखक का जीवन में कुछ ऐसा होता है जिसका अनुकरण कर पाठक सीख सकता है। इन साक्षात्कारों में आत्मकथ्य के साथ ही बचपन व युवावस्था के स्मरण हैं जो उनके जीवन को समझने में हमें सहायता देते हैं। डॉ. अग्रवाल के यात्रा वृत्तान्त पर चर्चा करते हुए कविता मुखर ने कहा कि उनकी विषेपता है कि वे अपना पक्ष शालीनता से रखते हैं और कभी उग्र नहीं होते। उनकी वैचारिक दृढ़ता और उनकी आस्था कभी डिगती नहीं है। वर्तमान दौर में अभिव्यक्ति पर मंड्यरते तमाम खबरों के बीच वे संतुलन कायम रखते हुए अपनी बात कहने से कभी पीछे नहीं रहते। वे गम्भीर पाठक, निष्पक्ष समीक्षक और मुखर आलोचक हैं।

डॉ. अग्रवाल की लोकार्पित पुस्तक "दिल की गिरह खोल दी" के संपादक पल्लव ने कहा कि यह कितना समय-समय पर लिये गये उनके साक्षात्कारों का संग्रह है। हर लेखक का जीवन में कुछ ऐसा होता है जिसका अनुकरण कर पाठक सीख सकता है। इन साक्षात्कारों में आत्मकथ्य के साथ ही बचपन व युवावस्था के स्मरण हैं जो उनके जीवन को समझने में हमें सहायता देते हैं। डॉ. अग्रवाल के यात्रा वृत्तान्त पर चर्चा करते हुए कविता मुखर ने कहा कि उनकी विषेपता है कि वे अपना पक्ष शालीनता से रखते हैं और कभी उग्र नहीं होते। उनकी वैचारिक दृढ़ता और उनकी आस्था कभी डिगती नहीं है। वर्तमान दौर में अभिव्यक्ति पर मंड्यरते तमाम खबरों के बीच वे संतुलन कायम रखते हुए अपनी बात कहने से कभी पीछे नहीं रहते। वे गम्भीर पाठक, निष्पक्ष समीक्षक और मुखर आलोचक हैं।

डॉ. अग्रवाल की लोकार्पित

पुस्तक "दिल की गिरह खोल दी" के संपादक पल्लव ने कहा कि यह कितना समय-समय पर लिये गये उनके साक्षात्कारों का संग्रह है। हर लेखक का जीवन में कुछ ऐसा होता है जिसका अनुकरण कर पाठक सीख सकता है। इन साक्षात्कारों में आत्मकथ्य के साथ ही बचपन व युवावस्था के स्मरण हैं जो उनके जीवन को समझने में हमें सहायता देते हैं। डॉ. अग्रवाल के यात्रा वृत्तान्त पर चर्चा करते हुए कविता मुखर ने कहा कि उनकी विषेपता है कि वे अपना पक्ष शालीनता से रखते हैं और कभी उग्र नहीं होते। उनकी वैचारिक दृढ़ता और उनकी आस्था कभी डिगती नहीं है। वर्तमान दौर में अभिव्यक्ति पर मंड्यरते तमाम खबरों के बीच वे संतुलन कायम रखते हुए अपनी बात कहने से कभी पीछे नहीं रहते। वे गम्भीर पाठक, निष्पक्ष समीक्षक और मुखर आलोचक हैं।

डॉ. अग्रवाल की लोकार्पित पुस्तक "दिल की गिरह खोल दी" के संपादक पल्लव ने कहा कि यह कितना समय-समय पर लिये गये उनके साक्षात्कारों का संग्रह है। हर लेखक का जीवन में कुछ ऐसा होता है जिसका अनुकरण कर पाठक सीख सकता है। इन साक्षात्कारों में आत्मकथ्य के साथ ही बचपन व युवावस्था के स्मरण हैं जो उनके जीवन को समझने में हमें सहायता देते हैं। डॉ. अग्रवाल के यात्रा वृत्तान्त पर चर्चा करते हुए कविता मुखर ने कहा कि उनकी विषेपता है कि वे अपना पक्ष शालीनता से रखते हैं और कभी उग्र नहीं होते। उनकी वैचारिक दृढ़ता और उनकी आस्था कभी डिगती नहीं है। वर्तमान दौर में अभिव्यक्ति पर मंड्यरते तमाम खबरों के बीच वे संतुलन कायम रखते हुए अपनी बात कहने से कभी पीछे नहीं रहते। वे गम्भीर पाठक, निष्पक्ष समीक्षक और मुखर आलोचक हैं।

डॉ. अग्रवाल की लोकार्पित पुस्तक "दिल की गिरह खोल दी" के संपादक पल्लव ने कहा कि यह कितना समय-समय पर लिये गये उनके साक्षात्कारों का संग्रह है। हर लेखक का जीवन में कुछ ऐसा होता है जिसका अनुकरण कर पाठक सीख सकता है। इन साक्षात्कारों में आत्मकथ्य के साथ ही बचपन व युवावस्था के स्मरण हैं जो उनके जीवन को समझने में हमें सहायता देते हैं। डॉ. अग्रवाल के यात्रा वृत्तान्त पर चर्चा करते हुए कविता मुखर ने कहा कि उनकी विषेपता है कि वे अपना पक्ष शालीनता से रखते हैं और कभी उग्र नहीं होते। उनकी वैचारिक दृढ़ता और उनकी आस्था कभी डिगती नहीं है। वर्तमान दौर में अभिव्यक्ति पर मंड्यरते तमाम खबरों के बीच वे संतुलन कायम रखते हुए अपनी बात कहने से कभी पीछे नहीं रहते। वे गम्भीर पाठक, निष्पक्ष समीक्षक और मुखर आलोचक हैं।

डॉ. अग्रवाल की लोकार्पित

राष्ट्रदूत के अतिथि संपादक, आलोचक, अनुवादक, स्तंभकार डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल का अमृत महोत्सव मनाया

समारोह में डॉ